

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एल-9-3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार

भोपाल दिनांक 02 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिये जाने वाले वाहन अग्रिम पर ब्याज दर का निर्धारण।

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 25 जून 2010 की कण्डिका 4 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्यों को स्वयं का मोटर वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 8.00 लाख तक ऋण दिया जा रहा है। इस ऋण के लिये 9.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एल-9-3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार

भोपाल दिनांक 02 जून, 2017

प्रतिलिपि:-

01. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय,
02. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
03. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश, भोपाल,
04. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
05. समस्त वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिये अग्रेषित।
06. महालेखाकार(लेखा और हकदारी/आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
07. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल
08. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।



(रूपेश कुमार पटवार)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग